रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 2014/फाल्गुन 28, 1935
No. 91] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 2014/PHALGUNA 28, 1935

तेजपुर विश्वविद्यालय

(संविधि – 2)

अधिसूचना

तेजपुर, 19 दिसम्बर, 2013

(मा सं वि मं के दिनांक 07-07-2010 के पत्र संख्या एफ. 14-1/2010-डेस्क (यू) द्वारा प्रेषित, कुलाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित संशोधन)

कुलपति

2.(i) कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष के द्वारा धारा 2 के अंतर्गत गठित एक समिति द्वारा संस्तुतित न्यूनतम तीन व्यक्तियों की एक सूची से की जाएगी :

परंतु, यदि कुलाध्यक्ष सूची में से किसी भी व्यक्ति के नाम का अनुमोदन नहीं करेंगे, तो वे एक नई सूची के लिए कह सकेंगे।

(ii) धारा (i) में उल्लिखित समिति तीन व्यक्तियों से गठित होगी और उनमें से कोई भी विश्वविद्यालय के कर्मचारी अथवा प्रबंधन बोर्ड या विद्या परिषद या योजना एवं विद्या समिति का सदस्य अथवा विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी संस्थान से संबंधित व्यक्ति नहीं होंगे, तथा उन तीन व्यक्तियों में से दो प्रबंधन बोर्ड के द्वारा नामित होंगे और एक का मनोनयन कुलाध्यक्ष करेंगे – जो समिति के संयोजक होंगे।

(iii) कुलपति विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होंगे।

(iv) नियुक्ति की तिथि से विश्वविद्यालय के कुलपति पाँच साल तक कार्यनिर्वाह करेंगे अथवा सत्तर साल की आयु तक सेवा प्रदान करेंगे। इन दोनों शर्तों में से जो पहले पूरी होगी, उसी के आधार पर कुलपति पुनः नियुक्ति उपरूल्लेखित आयु सीमा के आधार पर होगी।

ऊपर्युक्त पाँच साल की पूर्णावधि की समाप्ति के पश्चात जब तक उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं होगी और कार्यनिर्वाह नहीं करेंगे, तब तक वे ही कार्यनिर्वाह करते रहेंगे।

इसके अतिरिक्त विजिटर किसी भी कुलपति को उनकी कार्यावधि की समाप्ति के पश्चात सिर्फ एक साल के लिए, जो उनके द्वारा निर्दिष्ट होगा, सेवा जारी रखने की अनुमति प्रदान कर सकेंगे।

(v) कुलपति की उपलब्धियां एवं अन्य सेवा शर्तें निम्न प्रकार से होंगी :-

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर के अनुसार कुलपति का मासिक वेतन और घर भाड़ा भत्ते को छोड़कर अन्य भत्ते दिए जाएंगे, तथा वे भाड़ा चुकाए बिना ही अपने पूरे कार्यकाल के दौरान एक असबाबों से सज्जित आवास का उपयोग कर सकेंगे और ऐसे आवास के रखरखाव में होने वाले व्यय का भार उन्हें वहन नहीं करना होगा।

(ख) कुलपति, कुलाध्यक्ष के अनुमोदन पर प्रबंधन बोर्ड के द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाने वाले कालावधि सापेक्ष लाभ एवं भत्ते के अधिकारी होंगे :

परंतु इस विश्वविद्यालय अथवा इसके द्वारा संचालित किसी महाविद्यालय या संस्थान के, अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय के या उसके द्वारा संचालित अथवा उससे संबद्ध किसी संस्थान के किसी कर्मचारी को कुलपति नियुक्त किए जाने की स्थिति में, वे जिस भविष्य निधि के सदस्य हैं - उसमें अपना अंशदान जारी रखने की अनुमति उन्हें प्रदान की जा सकेगी और यह विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्ति के उस भविष्य निधि वाले खाते में उसी दर से अंशदान करेगा – जिस हिसाब से वे कुलपति के रूप में नियुक्त होने से तत्काल पूर्व अपना अंशदान कर रहे थे :

परंतु, और कि ऐसे कर्मचारी यदि किसी निवृत्ति वेतन निधि योजना के सदस्य रहे हों तो विश्वविद्यालय उस योजना में आवश्यक अंशदान करेगा।

(ग) कुलपति प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली दर के हिसाब से यात्रा भत्ते के अधिकारी होंगे।

(घ) कुलपति एक कैलेंडर वर्ष में तीस दिन के हिसाब से पूर्ण वेतन सहित छुट्टी के अधिकारी होंगे और प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई महीनों के प्रथम दिनों में दो पंद्रह दिवसीय अर्द्ध-वार्षिक किस्तों के रूप में उनके खाते में राशि अग्रिम रूप से जमा कर दी जाएगी :

परंतु, यदि कुलपति किसी चालू वर्षार्द्ध के दौरान कुलपति के पद का कार्यभार ग्रहण करें या उससे निवृत्ति लें, तो प्रत्येक सेवापूर्ण मास पर ढाई दिन के हिसाब से समानुपातिक रूप में छुट्टी की रकम जमा कर दी जाएगी।

(ङ) उपधारा (घ) में उल्लिखित छुट्टी के अलावा कुलपति प्रत्येक सेवापूर्ण वर्ष बीस दिन के हिसाब से अर्द्धवेतन सहित छुट्टी के भी अधिकारी होंगे। यह अर्द्धवेतन सहित छुट्टी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके अंतर्वर्तित छुट्टी के रूप में पूर्ण वेतन के साथ ली जा सकेगी। अंतर्वर्तित छुट्टी ली जाने की स्थिति में, प्राप्त होने वाली अर्धवेतन सहित छुट्टी की कुल राशि से अर्द्धवेतन सहित छुट्टी की दुगुनी रकम घटाई जाएगी।

(vi) कुलपति का पद यदि देहावसान, त्याग-पत्र प्रदान या अन्य किसी कारण से रिक्त होता है अथवा वे अस्वस्थता या अन्य किसी कारण से अपने कार्यों का संपादन नहीं कर सकते, तो सम-कुलपति कुलपति के कार्यों का संपादन करेंगे।

परंतु, सम-कुलपति की अनुपस्थिति में सर्वोच्च वरिष्ठता प्राप्त आचार्य, यथास्थिति, नए कुलपति द्वारा कार्यभार ग्रहण किए जाने या विद्यमान कुलपति के द्वारा अपने पद से जुड़े दायित्वों को संभाले जाने तक कुलपति के कार्यों का संपादन करेंगे।

बीरेन दास, पंजीयक

[विज्ञापन/4/असाधारण/360बी/13]

TEZPUR UNIVERSITY

STATUTE- 2

NOTIFICATION

Tezpur, the 19th December, 2013

(Amendments as approved by the Visitor vide MHRD letter F. No. 14-1/ 2010- Desk (U) dated 07/07/10)

The Vice Chancellor,

2.(i) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Visitor from a panel of not less than three persons who shall be recommended by a Committee as constituted under clause (ii):
Provided that if the Visitor does not approve of any of the persons included in the panel, he may call for a fresh panel.

(ii) The Committee referred to in clause (i), shall consist of three persons, none of whom shall be an employee of the Universityor a member of the Board of Management, Academic Council or Planning and Academic Committee, member of any authority of the University or connected with an institution associated with the University and out of the three persons, two shall be nominated by the Board of Managementand one by the Visitor and the nominee of the Visitor shall be the convenor of the Committee.

(iii) The Vice-Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the University.

(iv) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters uponthe office, or until he attains the age of seventy years**,** whichever is earlier, and shall be eligible for re-appointment within the age limit as specified above.

Provided that notwithstanding the expiry of the said period of five years, he shall continue in office until his successor is appointed and enters upon his office.

Provided further that the Visitor may direct any Vice-Chancellor after his term has expired, to continue in office for such period, not exceeding a total period of one year, as may be specified by him.

(v) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be as follows:-

(a) The Vice-Chancellor shall be paid a monthly salary and allowances other than the house rent allowance, at the rates fixed by the Central Government from time to time and he shall be entitled, without payment of rent, to use a furnished residence throughout his term of office and no charge shall fall on the Vice-Chancellor in respect of the maintenance of such residence.

(b) The Vice-Chancellor shall be entitled to such terminal benefits and allowances as may be fixed by the Board of Management with the approval of the Visitor from time to time.

Provided that where an employee of the University or a College or an Institution maintained by it, or of any other University or any Institution maintained by or affiliated to such other University, is appointed as the Vice-Chancellor, he may be allowed to continue to contribute to any provident fund of which he is a member and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund at the same rate at which the person had been contributing immediately before his appointment as the Vice-Chancellor:

Provided further that where such employee had been a member of any pension scheme, the University shall make the necessary contribution to such scheme.

(c) The Vice-Chancellor shall be entitled to traveling allowance at such rates as may be fixed by the Board of Management**.**

(d) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave on full pay at the rate of thirty days in a calendar year and shall be credited to his account in advance in two half-yearly instalment of fifteen day each on the first days of January and July every year:

Provided that if the Vice-Chancellor assumes or relinquishes charge of the office of the Vice-Chancellor during the currency of a half year, the leave shall be credited proportionately at the rate of two and-a-half days for each completed month of services.

(e) In addition to the leave referred to in sub-clause (d), the Vice-Chancellor also be entitled to half pay leave at the rate of twenty days for each completed year of service. This half pay leave may also be availed of as commuted leave on full pay on medical certificate. When commuted leave is availed, twice the amount of half pay leave shall be debited against half pay leave due.

(vi) If the office of the Vice-Chancellor becomes vacant due to death, resignation or otherwise, or if he is unable to perform his duties due to ill health or any other cause, the Pro-Vice-Chancellor shall perform the duties of the Vice-Chancellor:

Provided that if the Pro- Vice Chancellor is not available, the seniormost Professor shall perform the duties of the Vice-Chancellor until a new Vice-Chancellor assumes office or until the existing Vice-Chancellor attends to the duties of his office, as the case may be.

BIREN DAS, Registrar

[ADVT. III/4/Exty,/360B/13]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.